15

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा (म. प्र.)

निगरानी 157-III-15

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs 20/-

856
29.12.14

श्रीनिवास तिवारी तनय श्री रामगुलाम तिवारी निवासी ग्राम बडेरा, तहसील मझगवाँ जिला सतना म. प्र.------पुनरीक्षणकर्ता

बनाम.

शासन म. प्र. जरिए कलेक्टर सतना म. प्र. ----गैर पुनरीक्षणकर्ता

श्री. [illegible] पाठक एड
द्वारा आज दिनांक. 29.12.14 को
प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 4228
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक........को प्राप्त.
[illegible]
[illegible] ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय संभाग रीवा- म.प्र. द्वारा प्र0 क्र0 अपंजीकृत पुनर्स्थापना /13-14 आदेश दिनांक 03/11/14

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू. रा. संहिता 1959 ई.

मान्यवर,

पुनरीक्षण के आधार निम्नलिखित है :-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 03-11-014 विधि व प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

2:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षणकर्ता द्वारा आवेदन अन्तर्गत धारा 35 (3) म0 प्र0 भू0 राजस्व संहिता 1959 ई. के तहत पुनर्स्थापित किए जाने खारिज प्र. क्रमांक 150/अपील/08-09 आदेश दिनांक 4-03-09 दिया गया था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय आवेदन पर गहन विचार किए बिना

क्र -2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी–157–तीन/2015 **जिला–सतना**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3–9–2015	आवेदक की ओर से श्री चित्रेन्द्र पाठक अभिभाषक उपस्थित । आवेदक अभिभाषक को सुना गया । आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग के न्यायालय में प्रकरण कमांक–150/अपील/08–09 में पारित आदेश दिनांक–4.3.2009 से प्रकरण में आवेदक की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज किया गया जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रकरण को पुनर्स्थापित किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक–3.11.14 से निरस्त किया गया है जो उचित नहीं है । प्रकरण को निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के आधार पर ग्राहय करने का निवेदन किया गया है । आवेदक अभिभाषक के तर्को पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित बिन्दुओं पर भी विचार किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जारी आदेश दिनांक–3.11.14 का अवलोकन किया गया । अवलोकन से यह तथ्य प्रकट हो रहे है कि आवेदक द्वारा धारा 35(3) आवेदन निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत न कर 5 वर्ष के अप्रत्याशित बिलम्ब से प्रस्तुत किया गया है साथ ही इतने लम्बे बिलम्ब के कारणों को भी स्पष्ट नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त के आदेश दिनांक–3.11.14 में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । प्रकरण में ग्राहयता का पर्याप्त आधार न होने से प्रकरण अग्राहय किया जाता है । पक्षकार सूचित हों । सदस्य	c